गफूर बनाम GDR प्रा.पत्र 136 [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/25	वकील प्रार्थी उप०, प्रा.पत्र दर्ज रजि. किया जावे, तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की जावे, पत्रावली दिनांक 26/9/25 को पेश हो।	
19/09/25	आज पत्रावली ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प कोटी खेडली में पेश हुई, तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) **उपखण्ड अधिकारी** **नगर (डीग) राज०**	गफूर

ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प कोर्ट– खेरली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2025 **तारीख दायरा:–11.09.2025**

गफूर पुत्र मिसला जाति मेव निवासी ग्राम डोमराकी तहसील नगर जिला डीग।

-----प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

-----अप्रार्थी

प्राथर्ना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह गुर्जर प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक:–19.09.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 181/0.51, 225/0.89, 226/0.46, 227/0.52, 495/0.37 बाके ग्राम डोमराकी तहसील नगर मे स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी की पैतृक आराजी है पूर्व मे यह आराजी प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियो की सहबन गलती से गफूर पुत्र मिसला के स्थान पर प्रार्थी का नाम कपूर पुत्र मिसला दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी का विवादित आराजीयात के अलावा ग्राम डोमराकी तहसील नगर के आराजी खसरा नं0 466/0.16 मे प्रार्थी का नाम गफूर पुत्र मिसला जाति मेव दर्ज है। तथा प्रार्थी के समस्त दजस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जनाआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि मे प्रार्थी का नाम गफूर पुत्र मिसला दर्ज है। गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के लाभ से वंचित रह रहा है। गांव डोमराकी तहसील नगर मे कपूर पुत्र मिसला व गफूर पुत्र मिसला जाति मेव नाम का प्रार्थी के अलावा और कोई आदमी नही है। अत प्रार्थी का नाम कपूर पुत्र मिसला के स्थान गफूर पुत्र मिसला शुद्व किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना के संबंध मे तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी का नाम आराजी खसरा नम्बर 181/0.51, 225/0.89, 226/0.46, 227/0.52, 495/0.37 बाके ग्राम डोमराकी तहसील नगर के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम कपूर पुत्र मिसल खां दर्ज है। कपूर व गफूर दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अत प्रार्थी का नाम कपूर पुत्र मिसल खां के स्थान पर गफूर पुत्र मिसल खां शुद्व किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक मे नाम गफूर पुत्र मिसला अंकित है। तहसीलदार नगर ने भी अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है कि ग्राम डोमराकी मे कपूर एंव गफूर नाम का एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी के भाई नबी खा, मुहर खां पुत्रान मिसला खा ने भी अपने स्वयं के शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हमारे भाई का सही नाम गफूर है। अत तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम डोमराकी तहसील नगर के आराजी खसरा 181/0.51, 225/0.89, 226/0.46, 227/0.52, 495/0.37मे दर्ज प्रार्थी का नाम कपूर पुत्र मिसला के स्थान पर गफूर पुत्र मिसला खां शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प खेरली में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

19/9/25

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०